**ई-मेल**

संख्या-6/2022/924/एक-1-2022-रा0-1

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

**राजस्व अनुभाग-1** **लखनऊः दिनांकः 21 नवम्बर, 2022**

विषयः-पिनैकल रेनेवेवल एनर्जी प्रा0 लि0 द्वारा 05 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु ग्राम कन्दुनी तहसील विसवां जिला सीतापुर में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89(3) के अन्तर्गत विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-418/बारह-ए/सी0एफ0-76/(2021-22)/जि0भू0व्य0 लि0, दिनांक-09.04.2022 तथा पत्र संख्या-834/बारह-ए/सी0एफ0-76/(2021-22)/जि0भू0व्य0लि0, दिनांक-16.08.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पिनैकल रिन्यूवेबल एनर्जी प्रा०लि० द्वारा ग्राम कन्दुनी, तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर में बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल पिनैकल रिन्यूवेबल एनर्जी प्रा०लि० द्वारा ग्राम कन्दुनी, तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर में सोलर प्लांट की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी विहित सीमा 5.0586हे० से अधिक 6.0963हे0 भूमि का विनियमितीकरण/कार्योत्तर स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) संस्था द्वारा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी 6.0963हे0 भूमि का जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के दस प्रतिशत अर्थात् रु0-22,82,300/-(बाईस लाख बयासी हजार तीन सौ रूपया) जुर्माने के रूप में निर्धारित ''राजस्व एवं पूंजीलेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान'' के लेखाशीर्ष ''0029-भू-राजस्व-101-भू-राजस्व/कर-06-राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्राप्तियां'' के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष ''03-अन्य प्राप्तियां'' में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।

**-2-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. निदेशक, पिनैकल रेनेवेवल एनर्जी प्रा0लि0, अमर इण्डस्ट्रियल स्टेट, कन्दुनी विसवां, सीतापुर-261201
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।